

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।

दिनांक 02.02.2016 को प्रातः 11.00 बजे सभागार, कुलपति सचिवालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित विश्वविद्यालय की 93वीं प्रबंध मण्डल की विशेष बैठक के कार्यवृत्त

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :-

- | | |
|---|----------------|
| 1. डॉ० बी०आर० छीपा,
माननीय कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० गोपाल कृष्ण जोशी,
माननीय विधायक (बीकानेर पश्चिम) | सदस्य |
| 3. डॉ० लोकेश कुमार शेखावत,
पूर्व कुलपति एवं महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद् | सदस्य |
| 4. डॉ० सी०बी० गेना,
पूर्व कुलपति एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद् | सदस्य |
| 5. श्री हनुमाना राम इसरान,
प्राचार्य एवं महामहिम कुलाधिपति द्वारा मनोनीत विख्यात शिक्षाविद् | सदस्य |
| 6. श्री सुमित गोदारा,
प्रगतिशील किसान राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य | सदस्य |
| 7. डॉ० पी०एस० राठौड़,
निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर | सदस्य |
| 8. डॉ० (श्रीमती) विमला डुकवाल,
आचार्य, गृह विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर | सदस्य |
| 9. डॉ० एस०एल० गोदारा,
आचार्य एवं क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृ०अनु०के०, बीकानेर | सदस्य |
| 10. डॉ० दीपक चतुर्वेदी,
सहायक आचार्य, प्रसार शिक्षा निदेशालय, बीकानेर | सदस्य |
| 11. डॉ० सी० पी० राजपुरोहित,
उप पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, बीकानेर | सदस्य |
| 12. श्री अरविन्द सिंह शेखावत,
वित्त नियंत्रक | आमंत्रित सदस्य |
| 13. डॉ० आई०जे० गुलाटी,
कुलसचिव | सदस्य सचिव |

डॉ० एन० वी० पाटिल, निदेशक (रा०ऊ०अ०के०) एवं भा०कृ०अ०प० द्वारा मनोनीत सदस्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि), आयुक्त कृषि, अतिरिक्त मुख्य सचिव (पशु पालन) तथा प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार प्रबंध मण्डल की बैठक में भाग नहीं ले सकें।

2/2

सर्वप्रथम डा० आई.जे. गुलाटी, कुलसचिव एवं सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया । कुलसचिव द्वारा पेंशन कॉरपस फंड के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 27.01.2016 में लिए गए निर्णय के बारे में तथा विश्वविद्यालय द्वारा पेंशन समस्या समाधान के बारे में अब तक किए गए समस्त प्रयासों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में पारित निर्णयों के परिपेक्ष में बैठक में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया ।

मद सं० स्वाकेराकृवि/बोम-93/2016-1/1276

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 27.01.2016 में लिए गए बाईपास पर स्थित विश्वविद्यालय की 75 हैक्टेयर अनुपयोगी भूमि या कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, हनुमानगढ़ पर स्थित 55 हैक्टेयर भूमि बेचान बाबत निर्णय पर सर्वसम्मति प्रदान की गई तथा पारित किया गया कि इस निर्णय को राज्य सरकार की अनुमति हेतु शीघ्रतिशीघ्र भेजा जावे । पेंशन कॉरपस फंड हेतु मंडी से प्राप्त मंडी शुल्क में से कुछ प्रतिशत विश्वविद्यालय को देने हेतु राज्य सरकार को पुनः निवेदन किया जावे ।

जब तक विश्वविद्यालय को राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त तथा भूमि विक्रय प्रक्रिया के उपरान्त राशि प्राप्त हो, तब तक महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर की भांति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से साठ करोड़ (60 करोड़) रूपये का ऋण राज्य सरकार की गारंटी पर लिया जाने बाबत भी राज्य सरकार को अनुमति हेतु निवेदन किया जाने का निर्णय लिया गया ।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि, चूंकि विगत जुलाई, 2014 से श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से पेंशन अंशदान की राशि इस विश्वविद्यालय को नहीं भेजी जा रही है, अतः कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से यह निवेदन किया जाये कि श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों (जिनका पी.पी.ओ. उस विश्वविद्यालय से जारी किया गया है) को मासिक पेंशन तथा समस्त सेवा निवृत्ति परिलाभ श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ही भुगतान करे ।

मद सं० स्वाकेराकृवि/बोम-93/2016-1/1277

बैठक में माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से प्रबन्ध मण्डल के निर्णय मद सं० स्वाकेराकृवि/बोम-92/2015-2/1275 दिनांक 09.09.2015 की अनुपालना में ~~अ~~ मई-जून 2013 में सह आचार्य से आचार्य पदों हुई पदोन्नति (यू.जी.सी. कैरियर एडवान्समेंट योजना-2010 के अन्तर्गत) की प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में पदोन्नति से वंचित प्राध्यापकों के अभ्यावेदन अनुसार कैरियर एडवान्समेंट योजना में पदोन्नति का लाभ देने बाबत गठित समिति की अनुसंधान अनुसार वंचित 13 सह आचार्यों को आचार्य पद पर पदोन्नति राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

(डॉ० इन्द्रजीत गुलाटी)

कुलसचिव

एवं

सदस्य सचिव प्रबन्ध मण्डल

(डॉ० बी०आर० छीपा)

कुलपति

एवं

अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल